पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 234 / 2025

1. तनोज कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. ममता पत्नी तनोज कुमार जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. सीमा पत्नी नौरंगलाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ ।
2. कविता पत्नी सुनील जाति जाट निवासी सूरांवाली जिला श्रीगंगानगर ।
3. वर्षा पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी सूरांवाली जिला श्रीगंगानगर ।
5. अनुजा पुत्री नौरंगलाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 10/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी सं० 1 तनोज कुमार को बटवारां में चक नं0 5 केएसपी के प०न० 171/314 मु0 51 किलानं0 1,10,11,20/1.012 है0 तथा वादीया सं0 2 ममता को चक नं0 5 केएसपी के प0न0 171/314 मु0 51 किलान0 21/.253 है०, प०न० 170/314 मु0 50 किलानं0 25 कुल 0.506 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक चक नं0 5 केएसपी के खाता स0 109/116 मे से प्रतिवादीया सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे, तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।